

बोली दस्तावेज़

बोली विवरण	
बोली अंतिम तिथि/समय	30-03-2023 18:00:00
बोली खोलने की तारीख/समय	30-03-2023 18:30:00
बोली प्रस्ताव वैधता (अंतिम तिथि से)	180 (दिन)
मंत्रालय/राज्य का नाम	वित्त मंत्रालय
विभाग का नाम	वित्तीय सेवाएं विभाग
संगठन का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक)
कार्यालय का नाम	आईएचसी लोधी रोड नई दिल्ली
कुल मात्रा	2
आइटम श्रेणी	डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर (संस्करण 2.0) (Q2) (केवल पीएसी)
बोलीदाता का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार (3 वर्ष के लिए)	10 लाख
समान/समान सेवा के लिए आवश्यक विगत वर्षों का अनुभव/	2 वर्ष
अनुभव के वर्षों के लिए एमएसई छूट और कारोबार	हाँ
वर्षों के अनुभव और टर्नओवर के लिए स्टार्टअप छूट	हाँ
विक्रेता से आवश्यक दस्तावेज़	अनुभव मानदंड, बोलीदाता टर्नओवर, ओईएम प्राधिकरण प्रमाणपत्र, अतिरिक्त दस्तावेज़ 1 (एटीसी में अनुरोधित) *यदि कोई बोलीदाता अनुभव / टर्नओवर मानदंड से छूट चाहता है, तो छूट के लिए उसकी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने चाहिए।
आरए सक्षम करने के लिए बोली	नहीं
बोली का प्रकार	दो पैकेट बोली
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए अनुमत समय	2 दिन
मूल्यांकन पद्धति	कुल मूल्य वार मूल्यांकन

ईएमडी विवरण

आवश्यक	नहीं
--------	------

ईपीबीजी विवरण

आवश्यक	नहीं
--------	------

विभाजन

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया।

एमएसई खरीद वरीयता

एमएसई खरीद वरीयता	नहीं
-------------------	------

पीएसी के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन का विवरण

पीएसी के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन दस्तावेज: अंग्रेजी अनुसार

सक्षम प्राधिकारी का नाम	श्री आलोक गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी का पदनाम	मुख्य तकनीकी अधिकारी
सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय/विभाग/प्रभाग	आईटीडी
सीए अनुमोदन संख्या	एचओ/आईटीडी/नोट/2023/000191
सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन तिथि	2023-03-06 00:00:00
सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति का संक्षिप्त विवरण	एसक्यूएल लाइसेंस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है

1. यदि बोलीदाता एमएसएमई नियमों के तहत नवीनतम परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम है, तो बोलीदाता को "बोलीदाता टर्नओवर" मानदंड और "अनुभव मानदंड" की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि बोलीदाता प्रस्तावित उत्पादों का OEM है, तो इसे "OEM औसत टर्नओवर" मानदंडों से भी छूट दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता टर्नओवर/अनुभव मानदंडों से छूट की मांग कर रहा है, तो छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने चाहिए।
2. यदि बोलीदाता एक स्टार्टअप है, तो बोली लगाने वाले को "बोलीदाता टर्नओवर" मानदंड और "अनुभव मानदंड" की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करते हों। यदि बोलीदाता प्रस्तावित उत्पादों का ओईएम है, तो उसे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन "ओईएम औसत टर्नओवर" मानदंड से भी छूट दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता टर्नओवर/अनुभव मानदंड से छूट की मांग कर रहा है, तो छूट के लिए उसकी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने चाहिए।
3. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान बोली लगाने वाले का न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार बोली दस्तावेज में ऊपर बताए अनुसार होना चाहिए। प्रासंगिक अवधि के प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य या प्रासंगिक अवधि के लिए टर्नओवर का विवरण दर्शाने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाएगा। यदि बोलीदाता के गठन/निगमन की तिथि 3 वर्ष से कम

पुरानी है, तो इस मानदंड के लिए गठन की तिथि के बाद पूर्ण वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को ध्यान में रखा जाएगा।

4. अनुभव मानदंड: अनुभव मानदंड के लिए लागू फ़िल्टर के संबंध में, बोली लगाने वाले या उसके ओईएम {स्वयं या पुनर्विक्रेता(ओं)} के पास नियमित रूप से समान या समान श्रेणी के उत्पादों का निर्माण और आपूर्ति किसी केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन/पीएसयू/सार्वजनिक के लिए होनी चाहिए। बोली खोलने की तारीख से पहले बोली दस्तावेज़ में ऊपर बताए अनुसार वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए सूचीबद्ध कंपनी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ मात्रा की आपूर्ति करने के समर्थन में बोली के साथ संबंधित अनुबंधों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं। बंच बोलियों के मामले में, उच्चतम मूल्य वाले प्राथमिक उत्पाद की श्रेणी को इस मानदंड को पूरा करना चाहिए।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को खरीद वरीयता: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 दिनांक 23.03.2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति और संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/अधिसूचनाओं में परिभाषित एमएसई को खरीद वरीयता दी जाएगी। यदि बोलीदाता खरीद वरीयता का लाभ उठाना चाहता है, तो बोली लगाने वाले को माल की आपूर्ति के लिए बोली के मामले में प्रस्तावित उत्पाद का निर्माता होना चाहिए। व्यापारियों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के दायरे से बाहर रखा गया है। सेवाओं के लिए बोली के संबंध में, बोली लगाने वाले को प्रस्तावित सेवा का सेवा प्रदाता होना चाहिए। इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तावित उत्पाद या सेवा के संबंध में बोली के साथ अपलोड किए जाएंगे। यदि एल-1 एक एमएसई नहीं है और एमएसई विक्रेता(ओं) ने प्रासंगिक नीति में परिभाषित खरीद वरीयता/मूल्य बैंड के मार्जिन के एल-1+ 15% (क्रेता द्वारा चयनित) के भीतर मूल्य उद्धृत किया है, तो ऐसे विक्रेता को अवसर दिया जाएगा। एल-1 मूल्य से मेल खाने के लिए और कुल मात्रा के 100% (खरीदार द्वारा चयनित) प्रतिशत के लिए अनुबंध दिया जाएगा।

डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर (संस्करण 2.0) (2 पीस) (पीएसी के तहत)

निर्माण	माइक्रोसॉफ्ट
मॉडल	sqlserver2022standardcore-2corelicensepack
ब्रांड प्रकार	पंजीकृत ब्रांड

तकनीकी विशिष्टियाँ

अंग्रेजी अनुसार

अतिरिक्त विशिष्टता दस्तावेज

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी और मात्रा

क्र. सं.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	पता	मात्रा	डिलीवरी के दिन
1	पारस भारद्वाज	110 003 इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर - 5ए, तीसरा - 5वां तल, लोधी, रोड, नई	2	15

		दिल्ली		
--	--	--------	--	--

क्रेता जोड़ा बोली विशिष्ट नियम और शर्तें

अंग्रेजी अनुसार

अस्वीकरण

क्रेता संगठन में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद क्रेता द्वारा अतिरिक्त नियम और शर्तें शामिल की गई हैं। क्रेता संगठन इन एटीसी के कारण बोली प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली किसी भी विलक्षणता / प्रतिबंध सहित बोली प्रक्रिया, इसके परिणाम, और इसके परिणामों पर इन खंडों के प्रभाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और तकनीकी विशिष्टताओं और / या नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाली 6 / 7 शर्तों में संशोधन के कारण होता है। निम्नलिखित के संबंध में क्रेता द्वारा शामिल किए गए किसी भी खंड को अकृत और शून्य और शून्य होगा और इसे बोली का हिस्सा नहीं माना जाएगा :-

1. इस संबंध में डीपीआईआईटी द्वारा जारी मौजूदा आदेश/कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बोली में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं की परिभाषा नहीं है।
2. जीईएम जीटीसी के तहत ऐसे विक्रेताओं को प्रदान की गई छूट के उल्लंघन में, अतिरिक्त नियम और शर्तों के माध्यम से बोली लगाने वालों से ईएमडी जमा करने की मांग करना।
3. उन मदों के लिए कस्टम/बीओक्यू बोलियां प्रकाशित करना जिनके लिए नियमित जीईएम श्रेणियां बिना किसी श्रेणी मद के उपलब्ध हैं।
4. एकल आइटम के लिए बीओक्यू बोली बनाना।
5. विशिष्ट ब्रांड या निर्माण या मॉडल या निर्माता या डीलर के नाम का उल्लेख करना।
6. बोलीदाताओं को अर्हता प्राप्त करने के लिए एक पूर्व आवश्यकता के रूप में भौतिक रूप में दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य है।
7. सेवाओं में कस्टम बोलियों के रूप में कार्य अनुबंधों का चल /निर्माण।
8. बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोली या नमूने के अनुमोदन के साथ नमूना मांगना।
9. बिना भारतीय मानकों के अस्तित्व के मामले में भी विदेशी / अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्रों को अनिवार्य करना समतुल्य भारतीय प्रमाणन/मानकों को निर्दिष्ट करना।
10. केवल विशिष्ट संगठन/विभाग/संस्थान से या विदेशी/निर्यात अनुभव से अनुभव प्राप्त करना।
11. अप्रासंगिक श्रेणियों से मदों के लिए बोली बनाना।
12. एमएसएमई नीति और मेक इन इंडिया नीति को वरीयता के खिलाफ किसी भी खंड को शामिल करना।
13. किसी बाहरी साइट पर प्रकाशित शर्तों का संदर्भ या बाहरी दस्तावेजों/धाराओं का संदर्भ।
14. किसी भी निविदा शुल्क/बोली भागीदारी शुल्क/नीलामी शुल्क के लिए पूछना बोलियों/आगे नीलामी के मामले में, जैसा भी मामला हो।

इसके अलावा, यदि किसी विक्रेता को इस बोली के किसी भी पहलू पर इन अतिरिक्त धाराओं के खिलाफ या अन्यथा कोई आपत्ति / शिकायत है, तो वे विक्रेता के रूप में लॉग इन करने के बाद विक्रेता डैशबोर्ड में बोली विवरण फ़ील्ड में प्रदान की गई प्रतिनिधित्व विंडो का उपयोग करके इसके खिलाफ

अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जेम पर बोली प्रकाशन के 4 दिन के भीतर क्रेता ऐसे सभी अभ्यावेदनों का उत्तर देने के लिए बाध्य है और यदि वह ऐसे अभ्यावेदनों का उत्तर देने में विफल रहता है तो उसे बोलियां खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह बोली सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा भी शासित होती है

किसी देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में जेम जीटीसी खंड 26 के संदर्भ में, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, किसी ऐसे देश से कोई भी बोलीदाता जो शेयर करता है भारत के साथ एक भूमि सीमा इस निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र होगी तभी बोलीदाता सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होगा। बोली में भाग लेते समय, बोलीदाता को इसका अनुपालन करना होता है और किसी भी झूठी घोषणा और इसका अनुपालन न करना अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानूनों के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

--- धन्यवाद---

नोट – किसी भी विवाद की दशा में अंग्रेजी मूल पाठ ही मान्य होगा।